कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना रामानुजनगर
जिला सूरजपुर (छ0ग0)
//विज्ञप्ति//

क्रमांक /892/स्था0/बाविपरि./2026–27 रामानुजनगर, दिनांक - 26-10-2026

छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, दाउ कल्याण सिंह भवन, रायपुर के आदेश क्रमांक/728/1098/2008/मबावि/50 रायपुर, दिनांक 02–04–2008 एवं संचालनालय, महिला एवं बाल विकास छत्तीसगढ़ इन्द्रावती भवन ब्लॉक–1 द्वितीय तल नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक/IT/830/2025- WCD HOD IT SECTION IT नवा रायपुर दिनांक 05.01.2026 के परिपालन में कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना रामानुजनगर जिला सूरजपुर के अन्तर्गत निम्नलिखित ग्राम पंचायत के ग्राम तथा पारे/टोले में स्वीकृत आंनगबाड़ी केन्द्रो में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के रिक्त पदो हेतु योग्य महिला उम्मीदवारो से नीचे दर्शाये शर्तो के अधीन आवेदन पत्र दिनांक **27.10.2026 से 10.11.2026** (सांय 5 बजे) तक ऑनलाईन पद्धती के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है। निर्धारित तिथि के पश्चात् आवेदन स्वीकार नही होगा। आवेदन करने हेतु नवीन पोर्टल https://aww.e-bharti.in/ में पंजीयन कर आवेदन करना अनिवार्य होगा। पंजीयन प्रक्रिया की जानकारी हेतु उक्त पोर्टल में उपलब्ध "उपयोगकर्ता मेनुअल" की सहायता ली जा सकती है।

नोट:– ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन के प्रिन्ट आउट सहित आवश्यक दस्तावेजो को संलग्न कर निर्धारित समय सीमा में परियोजना कार्यालय रामानुजनगर में जमा करना अनिवार्य है।

क्र0	सेक्टर	ग्राम पंचायत	ग्राम	आंगनबाड़ी केन्द्र	पदनाम
01	पतरापाली	सेन्दुरी	सेन्दुरी	बैगापारा	आ.बा. सहायिका

आंगनबाड़ी केन्द्रो में कार्यकर्ता/सहायिका नियुक्ति हेतु आवश्यक आर्हताए :–

1. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका का पद पूर्णतः मानसेवी तथा अशासकीय पद है। इन्हे शासन द्वारा निर्धारित मानदेय प्रतिमाह दिया जायेगा।
2. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका का पद केवल महिलाओं के लिए होंगे।
3. आंगनबाडी कार्यकर्ता/सहायिकाओं का पद के लिए आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष की होगी। आयु की गणना नियुक्ति प्रक्रिया की सूचना जारी होने की तिथि से की जावेगी। सेवा की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी। 01 वर्ष या उससे अधिक समय की सेवा का अनुभव रखने वाले आंनगबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका को नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष तक की छूट दी जावेगी। ऐसी कार्यकर्ता/सहायिका जिन्हे अनियमित्ता के कारण पूर्व में सेवा से बर्खास्त किया गया हो उन्हे दुबारा सेवा मे नही लिया जावेगा।
4. जिस ग्राम में आंगनबाड़ी केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित है या जहॉ पर रिक्त है आवेदिका उसी ग्राम की स्थानीय निवासी होना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ निवास के संबंध में निम्नलिखि में से कोई एक दस्तावेज संलग्न किया जावेगा।
 (क) रिक्त पद के ग्राम क्षेत्र की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र में संबंधित आवेदिका के द्वारा उल्लेख कर प्रतिलिपि में लगाई जावे।
 (ख) संबंधित ग्राम पंचायत के सरंपच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें ग्राम में निवासरत रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो।
 टिपः–यदि किसी आवेदिका के निवास के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस आवेदिका के निवास के सत्यापन हेतु सक्षम अधिकारी तहसीलदार द्वारा जारी निवास संबंधी प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।
5. आवेदिका की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार होगी–
 (क) आंगनबाड़ी सहायिका पद हेत 8 वी बोर्ड होगी। ग्रेडिग अंक सूची होने की स्थिति में संबंधित शाला के प्रधानपाठक से विषयवार निर्धारित पूर्णांक/प्राप्तांक की हस्ताक्षरित अंकतालिका एवं शाला के रिकार्ड/मूल दस्तावेज की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न किये जाने पर ही मान्य किया जावेगा। यदि पूर्णांक/प्राप्तांक अंकतालिका की सत्यापित प्रति उपलब्ध नही कराने पर ग्रेडिम वाले अंकसूची पर कोई अंक प्रदान नही किया जावेगा। जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं

26/10/26

जिम्मेदार होगे। कृपया प्रधानपाठक द्वारा प्रमाणित अंक सूची जिसमे प्राप्तांक एवं पूर्णांक का स्पष्ट उल्लेख हो आवेदन के साथ अपलोड करे। प्रमाणित अंक सूची अपलोड नही किये जाने की स्थिति में अंक प्रदाय नही किया जावेगा।

टिप– उपरोक्तानुसार शहरी/ग्रामीण/आदिवासी परियोजना में सहायिका पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8 वीं बोर्ड मानी जावेगी। उसके उपरांत भी यदि 8 वीं बोर्ड आवेदिका नही मिलने पर शैक्षणिक योग्यता शिथिल मानकर 5 वीं बोर्ड मान्य की जावेगी। यदि फिर भी किसी केन्द्र हेतु 5 वीं उत्तीर्ण आवेदिका भी नही है तो जिला कलेक्टर की स्वीकृति लेकर साक्षर महिला की भी नियुकित की जा सकती है। शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण के लिए अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति लगाना अनिवार्य होगा।

6. अ.ज.जा एवं अ.जा वर्ग के आवेदिकाओं द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकृत अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी/06 माह हेतु मान्य तहसीलदार द्वारा जारी अस्थाई जाति प्रमाण पत्र जो कि आवेदन अवधि में मान्य होना चाहिए) द्वारा जारी होने पर ही जाति प्रमाण पत्र पर निर्धारित अंक प्रदाय किया जावेगा। तथा अन्य राज्य से जारी जाति प्रमाण पत्र पर अंक की पात्रता नही होगी।
7. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के पद पर चयन में विधवा, परित्यकता व तलाकशूदा एवं गरीबी रेखा परिवार की महिलाओं को मूल्यांकन में अतिरिक्त अंक दिये जावेगे। परित्यकता के संबध में संबंधित ग्राम पंचायत सरपंच तथा सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरित पंचनामा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं दो वष से अधिक अवधि को ही मान्य किया जावेगा।
8. तलाकशुदा महिला होने के सबंध में न्यायालयीन आदेश की प्रति प्रस्तुत करना होगा।
9. अनुसूचित जाति/जनजाति विभाग द्वारा संचालित कन्या आश्रम में 8 वीं तक अध्यनरत करने पर अतिरिक्त अंक की प्रात्रता होगी।
10. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिला होने की स्थिति में छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास के निर्देशानुसार सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना वर्ष 2011 की प्रमाणित सूची जमा करने पर अंक प्रदाय किया जावेगा। प्रभावशील सूची का प्रमाणीकरण संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के द्वारा किये जाने पर ही अंक की पात्रता होगी।
11. अनुभव हेतु संबंधित परियोजना अधिकारी द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।
12. सभी प्रकार के प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन के समय समस्त दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है अपलोड नही होने की स्थिति में दस्तावेज मान्य नही होगें। आवेदन अपलोड होने के पश्चात प्रिन्ट आउट सहित संलग्न कर निर्धारित समयावधि में जमा करें।
13. दावा आपत्ती के समय किसी प्रकार का दस्तावेज/प्रमाण पत्र नही लिया जावेगा, केवल दावा आपत्ती ही स्वीकार किया जावेगा।
14. सभी दस्तावेज अभ्यर्थी द्वारा स्व प्रमाणित कर लगाये जायेगे। उपरोक्त अर्हता रखने वाले इच्छूक आवेदिका कार्यकर्ता/सहायिका के रिक्त पदो हेतु अपना ऑनलाईन आवेदन पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज निर्धारित तिथि **27.10.2026 से 10.11.2026** (सांय 5 बजे) पोर्टल में https://aww.e-bharti.in/ में आवेदन पत्र अपलोड करना सूनिश्चित करे।
15. नियुक्ति पश्चात् या प्रस्तुत आवेदन के छानबीन में कोई दस्तावेज कूटरचित, जाली अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी के विरूद्ध बिना कोई सूचना के वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसके लिए आप स्वतः जवाबदेय होगे।
16. आवेदिका शर्तों को भली भाती पढ़कर आवेदन करे। आवेदन अपलोड हो जाने के पश्चात् कोई अन्य दस्तावेज स्वीकार नही किया जावेगा।

परियोजना अधिकारी,
एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना
रामानुजनगर जिला-सूरजपुर(छ.ग.)

पृ0क्र0 883/स्था./बाविपरि/ 2026–27 रामानुजनगर दिनांक – 26.10.2026

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर, महोदय जिला सूरजपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित्।
2. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास सूरजपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित्।

3. उप संचालक जनसंर्पक विभाग, सूरजपुर की ओर सादर सचूनार्थ। कृपया लोकहित में स्थानीय 02 समाचार पत्र में प्रकाषित कराने का कष्ट करेंगे।
4. जिला रोजगार अधिकारी सूरजपुर। (नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।)
5. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रामानुजनगर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित्।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारी जनपद पंचायत रामानुजनगर। (नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।)
7. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड रामानुजनगर की ओर सादर सूचनार्थ।
8. विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारी, विकास खण्ड रामानुजनगर की ओर सादर सूचनार्थ।
9. सेक्टर पर्यवेक्षक सेक्टर..... परियोजना रामानुजनगर की ओर सूचनार्थ। कृपया विज्ञापन की प्रति संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव को तामिल कराकर प्राप्ति अभिस्वीकृति परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
10. संबंधित सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत विकास खण्ड रामानुजनगर। कृप्या अपने पंचायत में जारी विज्ञापन के संबंध में पर्याप्त प्रचार–प्रसार करें एवं कोटवार के माध्यम से मुनादी भी कराना सुनिश्चित करें। ग्राम पंचायत के सूचना पटल में भी एक प्रति चस्पा अनिवार्य रूप से किया जावें।

परियोजना अधिकारी,
एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना
रामानुजनगर जिला–सूरजपुर(छ.ग.)